

हितकारी निधी के निर्णय जो 1 अगस्त 16 से लागू होंगे

Employee के निधन हो जाने पर 15000/- की जगह 20000/- राशि परिवार को दी जायेगी।

अब Non executive 20/- executive 50/- प्रति माह वेतन से काटे जायेंगे।

रिटायर्ड होने पर 2000/- दिये जायेगे। वेतन से काटी गई हितकारी निधी की राशि में से 40% circle को 60% SSA में रहेगी। पाहिले 50:50 थी।

KS THAKUR  
ACS NFTE